न्यायालय मान0 राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / /2015 निगरानी

ठाकुरदास पुत्र तन्सू यादव
ग्राम नयाखेरा तहसील व
जिला टीकमगढ़ ------आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा
कलेक्टर टीकमगढ़-----अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 – कलेक्टर जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 32/ 1996–97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–4–2000 के विरूद्ध)

महोदय,

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षित कारण

यह कि आवेदक ग्राम नयाखेरा तहसील टीकमगढ़ का निवासी होकर कृषि श्रमिक है तथा ग्राम नयाखेरा के मजरा जनरल साहव स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 185/8/3 रकबा 1.302 हैक्टर पर आवेदक वर्ष 1980–81 से खेती करके अपने बच्चों का पालन–पोषण करता आ रहा है। आवेदक ने श्रीमान नायव तहसीलदार टीकमगढ़ को 4–6–90 को आवेदन दिया कि कब्जे के आधार पर उक्त भूमि आवेदक के नाम की जावे । नायव तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 25 अ 19/98–99 में जांच करके एंव ग्राम पंचायत से अभिमत लेकर दखल रहित भूमि नियमों के अंतर्गत मजरा जनरल साहव स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 185/8/3 रकबा 1.302 हैक्टर आदेश दिनांक 25–12–1990

(112)

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3961 –दो/2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
18-12-15	यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 32/1996–97 स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–4–2000 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 25/1989–90 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 25–12–1990 से ग्राम मजरा जनरल साहब स्थित भूमि सर्वे कमांक 185/8/3 रकबा 1.302 हैक्टर पर आवेदक का कब्जा प्रमाणित होने से म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यस्थापन किया। नायव तहसीलदार टीकमगढ़ भूमि व्दारा व्यवस्थापन में अनियमिततायें करना मानकर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ ने आवेदक के विरूद्व स्वमेव निगरानी प्र. क्र.32/1996–97 पंजीबद्व किया तथा आदेश दि0 24–4–2000 पारित करके भूमि व्यवस्थापन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ आवेदक के अभिभाषक ने अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में दिये गये विवरण पर बताया कि	

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3961 –दो/2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	खाद बीज के लिये जब आवेदक को रूपयों की आवश्कता हुई, तब पटवारी से चालू खसरे की नकल मांगी एंव पटवारी ने बताया कि किताव में लिखी जमीन खसरे में सरकारी दर्ज है तब सभी खसरों की नकल निकलवाई, और कलेक्टर साहव के आदेश की जानकारी का पता चला एंव प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन देने एंव प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने के वाद निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा योग्य है क्योंकि कलेक्टर टीकमगढ़ ने आवेदक को साक्ष्य एंव सुनवाई का मौका दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है। आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर पूर्वजों के समय से अतिकमण चला आ रहा था सन् 1980 से पूर्व का कब्जा प्रमाणित पाने से नायव तहसीलदार ने भूमि व्यवस्थापित की है। कलेक्टर महोदय ने अत्याधिक विलम्ब से स्वमेव निगरानी दर्ज की है । उन्होंने निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश को निरस्त करने की मांग की। अनावेदक के अभिभाषक ने व्यवस्थापन नियम विरूद्ध विरूद्ध होना बताते हुये सीधे राजस्व मण्डल में पुनरीक्षण प्रस्तुत करने पर आपत्ति करते हुये कलेक्टर को स्वमेव निगरानी के अधिकार होना बताकर उनके आदेश को यथावत् रखने की प्रार्थना की। 5/ जहॉ तक पैनल लायर व्दारा सीधे राजस्व मण्डल में पुनरीक्षण प्रस्तुत करने वावत् आपत्ति किये जाने का प्रश्न है ? मोहर वाई विरूद्ध म0प्र0राज्य 1989 रा.नि. 46 (फुलबेंच) का दृष्टांत है कि यह प्रार्थी के विवेक पर निर्भर है कि वह पुनरीक्षण याचिका राजस्व मण्डल में सीधे	

प्रकरण कमांक 3961 –दो/2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	प्रस्तुत करे या अन्य अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। दोनों ही विकल्प उसे निरन्तर प्राप्त हैं। 6/ उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 25–12–1990 के विरूद्व कलेक्टर टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 24–4–2000 से अर्थात 09 वर्ष से अधिक अवधि वाद व्यवस्थापन निरस्त किया है। कमला सिंह (श्रीमती) विरूद्व अलका सिंह (श्रीमती) 2011 रा0नि0 273 = (।।) MPJR 84 का न्यायिक दृष्टांत है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियॉ कुछ मास के भीतर ही प्रयुक्त की जा सकती हैं। स्पष्ट है कि कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा 10 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी में आदेश पारित कर आवेदक के हित में व्यवस्थापित भूमि शासकीय घोषित की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 24–4–2000 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 7/ आवेदक व्दारा भूमि व्यवस्थापन आवेदन देने के उपरांत नायव तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 25/1989–90 अ–19 दर्ज कर इस्तहार का प्रकाशन किया है। पटवारी से स्थल की जांच रिपोर्ट प्राप्त कर ग्रामीणों की साक्ष्य लेते हुये वर्ष 1984 के पूर्व से भूमि पर आवेदक का कब्जा प्रमाणित पाने से आदेश दिनांक 25–12–1990 से ग्राम मजरा जनरल साहब स्थित भूमि	

प्रकरण कमांक 3961 –दो/2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	सर्वे कमांक 185/8/3 रकबा 1.302 हैक्टर का व्यवस्थापन किया है। आवेदक के अभिभाषक व्दारा दिये गये तर्को अनुसार भूमि व्यवस्थापन में प्राप्त करने के वाद आवेदक ने भूमि को सिंचित बनाने के लिये कुआ निर्माण कर तथा भूमि समतलीकरण पर धन व श्रम व्यय किया है। देवी प्रसाद विरूद्ध नाके 1975 JLJ 155 एंव 1975 रा. नि. 67 तथा 1975 MPLJ 689 के दृष्टांत हैं कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया, उसे भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये। पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन शक्तियों प्रयुक्त करते हुये परसीमा पश्चात् आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता। भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)–धारा 50 – भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गलतियां की गई – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण पात्र भूमिहीन बंटिति को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। (इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0शासन 2009 रा.नि. 251 से अनुसरित) स्पष्ट है कि कलेक्टर टीकमगढ़ ने आवेदक के हित में किये गये व्यवस्थापन को अनुचित आधारों पर निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 24–4–2000 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार	

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3961 –दो/2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	की जाकर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 32/1996–97 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–4–2000 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव ग्राम मजरा जनरल साहब स्थित भूमि सर्वे कमांक 185/8/3 रकबा 1.302 हैक्टर आवेदक के नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सदस्य	